संख्या: 38/2023/1413/ई-2/तेरह-2023-1745877

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 अक्टूबर,2023

विषयः- मेसर्स नीलश्री शुगर प्रा. लिमिटेड, ग्राम वेला, पोस्ट कोदौरा, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में 75 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की डुअल फीड (ग्रेन एवं केन जूस/शुगर सीरप) पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-94/दो-प्रा.डी.-251/मे. नीलश्री, दिनांक 14-09-2023 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 25-09-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:1397ई-2/तेरह-2023-1745877, दिनांक 29-09-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14-09-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्तराज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स नीलश्री शुगर प्रा. लिमिटेड, ग्राम वेला, पोस्ट कोदौरा, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर द्वारा 75 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 247.50 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज एवं केन जूस/शुगर सीरप पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 247.50 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021, केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 18/2021/524 ई-2/तेरह-2021-23/2009 दिनांक 23-02-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2021तथा गन्ना एवं चीनी विभाग से प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 279/शोध एवं समन्वय/एथनॉल/दिनांक 05-09-2023 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी उ.प्र. द्वारा निर्गत इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आसवनी स्थापना हेतु प्रदत्त इन्वायरमेन्ट क्लीयरेन्स दिनांक 12-10-2022 तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वाराप्रदत्त कन्सेट टू इस्टेब्लिश प्रमाण पत्र दिनांक 28-05-2023 में उल्लिखित शर्तें।

(5) आसवनी/इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन हेतु केन जूस/शुगर सीरप के प्रबन्ध के संबंध में विवरण आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आसवनी द्वारा समस्त एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जायेगा।

(8) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 38/2023/ 1413 (1)ई-2/तेरह-2023-1745877,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।